BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 196/2025

IN THE MATTER OF:

RAJ KISHORE ….APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY SPECIAL SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE DEPARTMENT, LUCKNOW. UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.03.2026 OF THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SAID ORDER DATED 25.03.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE- 1**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

Date: 22.04.2026
Place: NOIDA

BEFORETHENATIONALGREENTRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINALAPPLICATIONNO.196/2025

INTHEMATTEROF:

RAJ KISHORE ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH& ORS. .....RESPONDENT(S)

RESPONSE BY SPECIAL SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE DEPARTMENT, LUCKNOW. UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.03.2026 OF THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Ghanshyam Singh aged about 59 years S/o Shri Amar Singh, presently posted as Special Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

Scanned with OKEN Scanner

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the Applicant has raised grievances regarding the operation of an illegal brick kiln named H.M Brick Kiln located in Makhai Pur village, Kannauj Road, Kusumkhor, which is ruining the crops of the adjoining fertile land, polluting dust and mud, and that this kiln is located only about 300 to 400 meters away from the residential area.

4. That the present matter was listed for hearing on 09.03.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

"...2. This Tribunal had vide order dated 23.09.2025 and 16.12.2025 directed the Appellate Authority to decide Appeal No. 06/81-6-25 titled M/s HM Brick Field vs. Chief Environmental Officer expeditiously and a copy of order dated 16.12.2025 was also sent to the Appellate Authority. However, no information has been received from the Appellate Authority and no information is given by respondents no. 1 and 2 regarding present status of the Appeal.

3. Learned counsel for respondent no. 1- State of U.P. seeks time to file

K.P.S YADAV G.B. Nagar Expiry 30/05/2027 Notary Advocate

Scanned with OKEN Scanner

report regarding present status of the Appeal."

II. REPLY IS AS FOLLOWS

A. <u>PRESENT STATUS OF THE APPEAL</u>

5. It is submitted that the Appellate Authority/ Special Secretary, Environment, Forest & Climate Department, Lucknow vide its order dated 25.03.2026 has disposed of the appeal bearing No. 06/81-6-2025 relating to the brick kiln with the under mentioned observations:

"5. प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य रूप से यह बिन्दु निहित है कि प्रश्नगत ईट भट्टा उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरुप स्थापित है अथवा नहीं। अपीलकर्ता द्वारा बहस के दौरान उल्लेख किया गया कि राजस्व लेखपाल की आख्या दिनांक 23.10.2024 जो कि उप जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 24.12.2024 को अग्रसारित की गई है, उसके पक्ष में है। इसी प्रकार जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 06.10.2022 को उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। जिसके प्रतिउत्तर में विपक्षीगण द्वारा उल्लेख किया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ए०आई० नं0 529/2025 (ओ०ए० नं० 196/2025), राजकिशोर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2025 के अनुपालन में जिलाधिकरी कन्नौज द्वारा इस प्रकरण में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

K. S. YADAV G.B. Nagar Expiry 30/05/2027 Notary Advocate

Scanned with OKEN Scanner

किया गया था जिसमें डिप्टी कलेक्टर, कन्नौज, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात तथा खनन निरीक्षक कन्नौज शामिल थे। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट में निष्कर्ष स्वरूप निम्नानुसार अंकित किया गया है:- "The Brick Kiln should not be allowed to operate as the Brick Kiln is not complied with condition stipulated in the Uttar Pradesh Brick Kiln (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012" तथा इसी आशय की अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गई है। क्योंकि इस प्रकरण में उक्त समिति की रिपोर्ट जो कि दिनांक 05.09.2025 को अपर जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा अग्रसारित की गई है, इस प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट है जिसमें प्रश्नगत उद्योग उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया है। अपीलकर्ता को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 14.02.2022 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया था, जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकरण में जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है, जो कि अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित उप जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा अग्रसारित रिपोर्ट दिनांक 23/24.12.2024, अपर जिलाधिकारी कन्नौज द्वार एस०डी० सदर को अग्रसारित पत्र दिनांक 21.12.2024 तथा जिला उद्यान अधिकारी कन्नौज का अनापत्ति प्रमाण पत्र

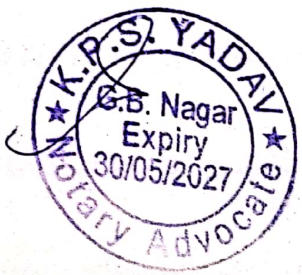

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 06.10.2022 से बाद की है। अतः जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आलोक में अपीलकर्ता की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

A copy of the said order dated 25.03.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE- 1**

6. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

7. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

K.P.S. YADAV ★ Notary Advocate ★ G.B. Nagar Expiry 30/05/2027

Scanned with OKEN Scanner

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 22 day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 7 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

K.P.S. YADAV ★ Advocate ★ G.B. Nagar Expiry 30/06/2031

ATTESTED
K.P.S. YADAV
NOTARY PUBLIC
Reg. No.-4123

22 APR 2026

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-1

अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

अपील अन्तर्गत धारा–31 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

अपील संख्या– 06/81–6–2025

मे0 एच0एम0 ब्रिक्स फील्ड ग्राम एण्ड पोस्ट–कुसुसखोर बांगर, तहसील एवं जिला–कन्नौज, जरिये प्रोपराइटर मो0 वसीम खान पुत्र मकसूद उर्फ मक्कू खान, निवासी–ग्राम नगला अमर सिंह, मोहकमपुर, जनपद–एटा।

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0/12वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 884, फतेहपुर रसराय रनिया, कानपुर देहात।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत अपील संख्या–06/81–6–2025 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत अपीलकर्ता मे0 एच0एम0 ब्रिक्स फील्ड ग्राम एण्ड पोस्ट–कुसुसखोर बांगर, तहसील एवं जिला–कन्नौज, जरिये प्रोपराइटर मो0 वसीम खान पुत्र मकसूद उर्फ मक्कू खान, निवासी–ग्राम नगला अमर सिंह, मोहकमपुर, जनपद–एटा द्वारा विपक्षीगण 1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी0सी0/12वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ तथा 2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 884, फतेहपुर रसराय रनिया, कानपुर देहात के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–31 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)

अधिनियम–1981 विरूद्ध समेकित सहमति आवेदन निस्तीकरण आदेश दिनांक 28.012.2024 Ref. No. 229810/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/ both/KANNAUJ/2024 पारित द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बन्दी आदेश दिनांक 29.09.2022 संदर्भ संख्या–एच 82546/सी–2/वायु–165 /बंदी आदेश/22 दिनांक 29.09.2022 पारित द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदेश के विरूद्ध योजित की गई है। सुनवाई हेतु नियत तिथि 13.01.2026 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। अपीलकर्ता मे0 एच0एम0 ब्रिक्स फील्ड की ओर अधिवक्ता श्री एस0डी0 मिश्रा तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री एस0के0 भास्कर, विधि अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ उपस्थित हुए। उभय पक्षो को सुना गया।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो में निम्नानुसार कथन किया गया है :–

1. क्योंकि आदेश दिनांकित 28.12.2024 अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है।
2. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप स्थापित किया गया है।
3. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग राजस्व आख्या के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप स्थापित किया गया है।
4. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों नियमों एवं निर्देशों के अनुसार अनुभवी अभिकरण द्वारा निर्मित किया गया है।
5. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग को निर्धारित मानकों, नियमों एवं निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत, खनन विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
6. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग को बन्दी आदेश जारी करने से पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
7. क्योंकि आदेश दिनांक 28.12.2024 के पूर्व अपीलार्थी उद्योग को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

8. क्योंकि अपीलार्थी उद्योग द्वारा आवेदित समेकित सहमति आवेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 28.12.2024 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी उद्योग के पक्ष में समेकित सहमति आदेश पारित किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि अपीलार्थी उद्योग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.12.2024 Ref. No. 229810/UPPCB/Kanpur Dehat(UPPCBRO)/CTO/both/KANNAUJ/2024 को निरस्त करते हुए अपीलर्थी उद्योग के पक्ष में समेकित सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी से यह भी निवेदन करता है कि अपीलार्थी के हित में प्रत्यर्थी के विरूद्ध जो भी न्यायोचित आदेश माननीय श्रीमान जी के दृष्टिकोण में उचित हो वह भी अपीलार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करें।

3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा निम्नानुसार आपत्ति/बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गई है :–

1. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर–1 के यथा उल्लिखित तथ्य असत्य हैं अतः इंकार है। अवगत कराना है कि अपीलार्थी ईंट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक 29.09.2022 प्रभावी होने तथा दिनांक 15.12.2023 को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 16,43,750/– के परिणामस्वरुप सहमति वायु/जल ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 को निरस्त किया गया है, जैसा कि निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है, जो कि प्रश्नगत अपील का संलग्नक है।

2. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर 2, 3 एवं 4 के यथा उल्लिखित तथ्य असत्य हैं अतः इंकार है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना एवं संचालन राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति प्राप्त किया गया है। प्रश्नगत ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरुप नहीं है जैसा कि जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा दिनांक 21.08.2025 को गठित त्रिसदस्यीय समिति की आख्या में भी अंकित है। जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा गठित समिति की आख्या की प्रति आपके अवलोकनार्थ सलंग्नक संख्या–1 के रुप में संलग्न है।

3. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर 5 के यथा उल्लिखित तथ्य असत्य हैं अतः इंकार है। अवगत कराना है कि अन्य विभागों साथ–साथ अपीलार्थी उद्योग

को उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 27.02.2012 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन किया जाना आज्ञापक है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत इंट भट्ठे के द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

4. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर 6 के यथा उल्लिखित तथ्य असत्य हैं अतः इंकार है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध बंदी आदेश जारी किए जाने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर देहात द्वारा पत्र दिनांक 14.04.2022 को नोटिस प्रेषित की गई थी। नोटिस दिनांक 14.04.2022 की प्रति आपके अवलोकनार्थ सलंग्नक संख्या–2 के रुप में संलग्न है।

5. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर 7 के यथा उल्लिखित तथ्य असत्य है अतः इंकार है। प्रतिउत्तर में प्रस्तुत आपत्ति के प्रस्तर 1 की प्रतिवादीगण पुनरावृत्ति करते हैं।

6. यह कि प्रस्तुत अपील के प्रस्तर 8 के यथा उल्लिखित तथ्यों से इंकार है, प्रश्नगत अपील प्रस्तुत आपत्ति में उल्लिखिल तथ्यों व संलग्नको के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रश्नगत अपील को निरस्त करने का आदेश परित करने की कृपा करें।

4. उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रस्तुत अपील में इस प्रकार स्थिति सामने आती है। अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत उद्योग मै0 एच0एम0 ब्रिक्स फील्ड ग्राम एण्ड पोस्ट–कुसुसखोर बांगर, तहसील एवं जिला–कन्नौज, जरिये प्रोपराइटर मो0 वसीम खान पुत्र मकसूद उर्फ मक्कू खान, निवासी–ग्राम नगला अमर सिंह, मोहकमपुर, जनपद–एटा में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना से पूर्व बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचलन हेतु बिना जल/वायु अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति आदेश प्राप्त किये, आरम्भ कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 14.02.2022 को नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका अनुपालन अपीलकर्ता

उद्योग द्वारा नहीं किया गया जिसका अपीलकर्ता द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा अपीलकर्ता उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई तथा तत्क्रम में मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रश्नगत उद्योग के बन्दीकरण का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26.12.2024 को अन्तर्गत धारा 25/26 (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 तथा अन्तर्गत धारा 21/22 (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष CCA (Consolidated Consent & authorization) हेतु प्रस्तुत किया गया, जो कि इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पूर्व पारित बन्दी आदेश दिनांक 29.09.2022 प्रभावी है तथा अपीलकर्ता पर दिनांक 15.12.2023 को रू0 16,43,750/– की क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गई है।

अपीलकर्ता द्वारा अपनी अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि आदेश दिनांक 28.12.2024 पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, अपीलार्थी का उद्योग निर्धारित मानकों, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप स्थापित किया गया है, उसे जिला पंचायत, खनन विभाग एवं उद्यान विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। विपक्षीगण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपील पर प्रस्तुत बिन्दुवार आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति प्राप्त किए किया गया है तथा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरुप नहीं है जैसा कि जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा दिनांक 21.08.2025 को गठित त्रिसदस्यीय समिति की आख्या में भी अंकित है।

प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध बंदी आदेश जारी किए जाने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर देहात द्वारा पत्र दिनांक 14.04.2022 द्वारा अपीलकर्ता को नोटिस प्रेषित की गई थी।

5. प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य रूप से यह बिन्दु निहित है कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरुप स्थापित है अथवा नहीं। अपीलकर्ता द्वारा बहस के दौरान उल्लेख किया गया कि राजस्व लेखपाल की आख्या दिनांक 23.10.2024 जो कि उप जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 24.12.2024 को अग्रसारित की गई है, उसके पक्ष में है। इसी प्रकार जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 06.10.2022 को उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। जिसके प्रतिउत्तर में विपक्षीगण द्वारा उल्लेख किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ए0आई0 नं0 529/2025 (ओ0ए0 नं0 196/2025), राजकिशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2025 के अनुपालन में जिलाधिकरी कन्नौज द्वारा इस प्रकरण में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसमें डिप्टी कलेक्टर, कन्नौज, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात तथा खनन निरीक्षक कन्नौज शामिल थे। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट में निष्कर्ष स्वरूप निम्नानुसार अंकित किया गया है:–

"The Brick Kiln should not be allowed to operate as the Brick Kiln is not complied with condition stipulated in the Uttar Pradesh Brick Kiln (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012" तथा इसी आशय की अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गई है। क्योंकि इस प्रकरण में उक्त समिति की रिपोर्ट जो कि दिनांक 05.09.2025 को अपर जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा अग्रसारित की गई है, इस प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट है जिसमें प्रश्नगत

उद्योग उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया है। अपीलकर्ता को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 14.02.2022 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया था, जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकरण में जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है, जो कि अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित उप जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा अग्रसारित रिपोर्ट दिनांक 23/24.12.2024, अपर जिलाधिकारी कन्नौज द्वार एस0डी0 सदर को अग्रसारित पत्र दिनांक 21.12.2024 तथा जिला उद्यान अधिकारी कन्नौज का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.10.2022 से बाद की है। अतः जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आलोक में अपीलकर्ता की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6. अतः उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आलोक में अपीलकर्ता की अपील अन्तर्गत धारा–31 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अपील संख्या–06/81–6–2025 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। इस आदेश की सत्यापित प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जाये।

25/03/2026

अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव,
पर्यावरण वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0, शासन।